उत्तर प्रदेश शासन,

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-42/2018/428/92-2-2018-75जॉच/2017

लखनऊ :: दिनांक:: 28 फरवरी, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

जनपद शामली के विधानसभा क्षेत्र कैराना में विधान सभा क्षेत्र कैराना के कार्यो पर अंकन रू0 1,02,056.00 का व्यय ऐसी मदों पर किये जाने, जो कि विधायक निधि योजनान्तर्गत अनुमन्य नही थे, में की गयी वित्तीय अनियिमतता हेतु प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर श्री मनोज कुमार गर्ग, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-शामली सम्प्रति प्रखण्ड-रामपुर के विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये प्रकरण की जॉच हेतु निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को पदेन जॉच अधिकारी नामित किये जाने तथा सम्पूर्ण कार्यवाही में विभागीय पक्ष/अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-शामली को पदेन प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नामित किये जाने की श्री राज्यपाल संहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- जॉच अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि विधिवत जॉच कार्यवाही पूर्ण कर जॉच आख्या (दो प्रतियों में) एक माह में शासन में उपलब्ध करायें।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफतेखारूददीन

अपर मुख्य सचिव।

संख्या-42/2018/428(1)/92-2-2018 तददिनांक।

प्रतिलिति प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- जॉच अधिकारी/ निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को शासन द्वारा अनुमोदित आरोप पत्र मय साक्ष्यों सहित (दो प्रति) संलग्नकर इस आशय से प्रेषित कि जांच अधिकारी के रूप में अपने हस्ताक्षर कर अपचारी अधिकारी को तामील कराते हुये तामीली रसीद शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।

2- अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-शामली।

3- श्री मनोज कुमार गर्ग, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-शामली सम्प्रति प्रखण्ड-रामपुर द्वारा-निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

4- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in